संख्या-16/2015/883/26-3-2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
भागीदारी भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-655/भा0भ0/2014-15, दिनांक 25-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 अनुदान संख्या-80 आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत भुगतान हेतु रू07,70,000/-(रूपये सात लाख सत्तर हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2- उक्त के सम्बन्ध में निर्गत शासनदेश संख्या-1938/26-3-2014, दिनांक 11-02-2015 एवं संलग्न बी0एम-9 निरस्त किया जाता है।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनेत्तर-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-17-छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ-16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग का वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-567 /दस-2015, दिनांक 29 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-बी0एम0-9

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16/2015/883/ (1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2. कोषाधिकारी,जवाहर भवन/मुख्यकोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, कैसरबाग,लखनऊ।

3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5. निदेशक, छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ

6. निदेशक, एन0आई0सी0 की एक प्रति।

7. सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।

8. गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र- बी0एम-9(पार्ट-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व छपे अनुदेशों को भली भांति देख लिया जाये)

अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग वित्तीय वर्ष 2014-15 धनराशि हजार रू0 में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा जारी किया जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्ग का कल्याण- 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण 277-शिक्षा 17- छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण् संस्थान, लखनऊ 13- टेलीफोन व्यय	860	791	770	770	90
योग	860	791	770	770	90

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये	वित्तीय वर्ष में प्रत्यासित	संक्रमण हेतु प्रस्तावित	वित्त विभाग द्वारा	संक्रमण् के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	उपलब्ध् अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	धनराशि (9-8)	अनुमोदित संक्रमण धनराशि	
7	8	9	10	11	12
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्ग का कल्याण- 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 277- शिक्षा 17- छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ 16- व्यवसायिक एवं विशेष सेवा के लिये भुगतान	2885	3655	770	770	365
योग	2885	3655	770	770	365

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नवत है:- टंकण की त्रुटि के कारण पुनर्विनियोग द्वारा अधिक धनराशि आवंटित हो जाने के कारण बचत हो रही है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:- संस्थान के 11 रिक्त पदों पर सैनिक कल्याण निगम से संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के भुगतान हेतु एवं संविदा पर संचालित सफाई व्यवस्था के भुगतान हेतु।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 व 154 एवं 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0 संख्या-631/ई-3-567/दस-2015 दिनांक 29 मार्च , 2015

सेवा मे

महालेखाकार लेखा (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबादा

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
समाज कल्याण विभाग

(राम सुमेर)
अनु सचिव
वित्त विभाग ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16/2015/883/26-3-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण् संस्थान ,गोमती नगर लखनऊ।

3- कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्र) अनुभाग-3

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

6- बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।

7- गार्डफाइल्/ इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।